कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी,उ0प्र0,इलाहाबाद

आदेश सं0/शि0स0/सम्बद्धता/ 167 /2013–14 दिनांक 27-4-13

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश सं0 1149/15–11–2013 शिक्षा अनुभाग–11 लखनऊ दिनांक 26 अप्रैल 2013 के अनुपालन में **सी0एम0कालेज आफ एजूकेशन, प्लाट/खसरा नं0 चाक नं0 803 अजीनो 412 खतौरी खाता 817 गाटा सं0 638,660 रूद्रपुर, कुसमी बाजार, चौरीचौरा, गोरखपुर** को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तो तथा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन **शैक्षिक सत्र 2012–13 से** सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

1. संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
2. जिन मानकों एवं शर्तो के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्था द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्था पर एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।
3. नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय–सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
5. सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी अभिलेख होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।
6. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक रखी जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख/अपडेट वेबसाइट पर किया जायेगा।
7. प्रश्नगत संस्था को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17 एवं 18 अप्रैल 2013 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु **शैक्षिक सत्र 2012–13 से** 50 सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद।

पृ0सं0 /शि0स0/सम्बद्धता / 1980-88 /2013–14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, बेसिक शिक्षा,उ0प्र0,शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, शिक्षा अनुभाग –11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0,लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0,लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, 20/198, कावेरी पथ मानसरोवर स्टेडियम के पास, मानसरोवर जयपुर।
6. संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
7. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, गोरखपुर।
8. **सचिव/प्रबन्धक, सी0एम0कालेज आफ एजूकेशन, प्लाट/खसरा नं0 चाक नं0 803 अजीनो 412 खतौरी खाता 817 गाटा सं0 638,660 रूद्रपुर, कुसमी बाजार, चौरीचौरा, गोरखपुर ।**
9. गार्ड फाइल।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद।

कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी,उ0प्र0,इलाहाबाद

138
28-10-2016

आदेश सं0/सम्बद्धता/ 13128-35 /2016–17 दिनांक: 27 सितम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश सं0 1648/15–11–2016 शिक्षा अनुभाग–11 लखनऊ दिनांक 14.09.2016 द्वारा निजी संस्थान **सी0एम0 कालेज ऑफ एजूकेशन, प्लाट नं0 638, 660 ग्राम रूद्रापुर पोस्ट कुस्मी बाजार, जनपद गोरखपुर** को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **शैक्षिक सत्र 2016–17 से अतिरिक्त एक यूनिट (अतिरिक्त 50 सीट)** की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

(1) संस्थान द्वारा लगातार प्राभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।

(2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिर्वतन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।

(3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय–सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।

(5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।

(6) संस्थान द्वारा अपनी बेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की बेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब–साइट पर किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 09.06.2016 से 10.06.2016 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु **शैक्षिक सत्र 2016–17 से अतिरिक्त एक यूनिट (अतिरिक्त 50 सीट)** की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद।
24.05.16

पृ0सं0 / सम्बद्धता/ 13128-35 /2016–17 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, बेसिक शिक्षा,उ0प्र0,शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0शासन, शिक्षा अनुभाग –11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0,लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0,लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि–II, एल0आई0सी0 बिल्डिंग, भवानी सिंह मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर–302005 (राजस्थान)।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, गोरखपुर।
7. प्रबन्धक/सचिव, सी0एम0 कालेज ऑफ एजूकेशन, प्लाट नं0 638, 660 ग्राम रूद्रापुर पोस्ट कुस्मी बाजार, जनपद गोरखपुर।
8. गार्ड फाइल।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद।
24.05.16

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर – 273009

पत्रांक : सम्बद्धता/2018/(3)/1397 दिनांक 19/05/2018

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य

सी०एम० कालेज ऑफ एजूकेशन, कुसुम्ही बाजार, गोरखपुर

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों की अस्थाई सम्बद्धता शैक्षिक सत्र 2018-20 हेतु स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन समिति नें महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत कागजातों, सम्बद्धता से सम्बन्धित अभिलेखों एवं शासनादेशों के अनुसार परीक्षण किया गया। परीक्षणोंपरान्त समिति ने महाविद्यालय में बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम के संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति पत्र निर्गत है, उक्त पत्र में उल्लिखित विधिक बटवारे के सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा पत्रजात प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार विधिक बटवारे की प्रक्रिया नियमानुसार चल रही है। समिति नें महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत कागजातों, सम्बद्धता से सम्बन्धित अभिलेखों एवं शासनादेशों के अनुसार परीक्षण किया गया। परीक्षणोंपरान्त समिति ने निरीक्षण मण्डल की आख्या में इंगित कमियों एवं महाविद्यालय द्वारा अन्य मानकानुसार अभिलेखों को पूर्ण करने, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानकानुसार निर्धारित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण करने के अधीन सी०एम० कालेज ऑफ एजूकेशन, कुसुम्ही बाजार, गोरखपुर स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में दो यूनिट (100 सीट) शैक्षिक सत्र 2018-2020 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर सी०एम० कालेज ऑफ एजूकेशन, कुसुम्ही बाजार, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में 100 सीटों की अस्थाई सम्बद्धता शैक्षिक सत्र 2018-20 हेतु स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है–

1. महाविद्यालय, सम्बद्धता समिति द्वारा इंगित कमियों यथा- महाविद्यालय में बी०एड० (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम के संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति पत्र निर्गत है, उक्त पत्र में उल्लिखित विधिक बटवारे के सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा पत्रजात प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार विधिक बटवारे की प्रक्रिया नियमानुसार चल रही है। साथ ही अनापत्ति पत्र में दी गयी शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त ही विश्वविद्यालय से कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करेगा। कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित करेगा। अन्यथा की स्थिति में लिया गया छात्रों का प्रवेश अवैध माना जायेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108/सत्तर– 2–2007–2(494)/2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112/सत्तर–2–2008– 2(494)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
7. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार संम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानको को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
8. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
9. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
11. संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी।
12. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनश्चित करेगी।
13. महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लंघन भविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
14. महाविद्यालय द्वारा ए०आई०एस०एच०ई० 2016–17 एवं 2017–18 का फार्म पूरित कर दिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता वापस लेने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
15. महाविद्यालय एन०सी०टी०ई० द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशो का अनुपालन करेगा, अन्यथा विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी सम्बद्धता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्याः दीदउगोविवि/सम्बद्धता/2018 /................तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उ०प्र०, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय/परीक्षा नियंत्रक/उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, दी०द०उ० गो०वि०वि०, गोरखपुर।
4. उपकुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें/कुलसचिव कार्यालय।
5. सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ। 6. गार्ड फाईल (सम्बद्धता)।

कुलसचिव